## दिल्ली विधान सभा सचिवालय : दिल्ली समाचार (भाग-2)

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी )

संख्याः 280 मिंगलवार १६ सितम्बर २००८/२५ भ्राद्धपद १९३० (शक) माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, (उत्तर) क्षेत्र, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों डा० जगदीश मुखी, श्री विजय लोचव, श्री साहब सिंह चौहानश्री ओ पी बब्बर, श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्री मांगे राम गर्म, श्री मोती लाल सोडी, श्री पूरन चन्द योगी और श्री कुलवन्त राणा सर्भ माननीय सदस्य दिल्ली विधान सभा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के के अन्तर्गत दिनांक 10.09.2008 को दोपहर 1.00 वर्ज गिरफ्तार किया गया ।

उन्हें उसी दिन उसी स्थान से दोपहर 1.10 बजे रिहा कर दिया गया

सिद्धार्थ राव सचिव

## Delhi Legislative Assembly Secretariat:Delhi Bulletin(Part-II)

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, 16<sup>th</sup> September, 2008 / 25, 1930(Saka)

No. 280 A

## DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, North Distt., Delhi

"I have the honour to inform you that Hon'ble Members of Delhi Legislative Assembly Dr. Jagdish Mukhi, Sh. Vijay Jolly, Sh. Sahab Singh Chauhan, Sh. O. P. Babber, Sh. Mohan Singh Bisht, Sh. Mange Ram Garg, Sh. Moti Lal Sodi, Sh. Puran Chand Yogi and Sh. Kulwant Rana were detained U/s 65 of Delhi Police Act on 10/09/2008 at 1.00 P.M.

All the above said MLAs were released at 1.10 P.M. on the same day.

SECRETARY